

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलारा श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 64/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी माउण्ट साहकारी बैंक सिरौही जरिए अधिकारी श्री कुमार शर्मा।	नागरिक लिमिटेड प्राधिकृत श्री अरविन्द	1. श्री उस्मान मोहम्मद पुत्र श्री मीर खान निवासी कुम्हारों का वास, अन्दौर तहसील शिवगंज जिला सिरौही। 2. श्रीमती कमली बानु पत्नि श्री मीर खान निवासी कुम्हारों का वास, अन्दौर तहसील शिवगंज जिला सिरौही। 3. श्री सोमी राम रेबारी पुत्र श्री प्रभाराम देवासी निवासी रेबारी वास, ओडा तहसील शिवगंज जिला सिरौही। 4. श्री विजय कुमार पुत्र श्री सरदारमल माली निवासी रूपावा बस स्टैण्ड कैलाश नगर तहसील शिवगंज जिला सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कूराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपस्थिति :-

1. श्री अरविन्द कुमार शर्मा अधिकृत अधिकारी, प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 21.08.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कूराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री उस्मान मोहम्मद पुत्र श्री मीर खान निवासी कुम्हारों का वास, अन्दौर तहसील शिवगंज जिला सिरौही।
2. श्रीमती कमली बानु पत्नि श्री मीर खान निवासी कुम्हारों का वास, अन्दौर तहसील शिवगंज जिला सिरौही।
3. श्री सोमी राम रेबारी पुत्र श्री प्रभाराम देवासी निवासी रेबारी वास, ओडा तहसील शिवगंज जिला सिरौही।
4. श्री विजय कुमार पुत्र श्री सरदारमल माली निवासी रूपावा बस स्टैण्ड कैलाश नगर तहसील शिवगंज जिला सिरौही।

को राशि रूपये 12,60,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद All the Piece and parcel of Immovable Property situated at Samarth Nagar, Part- B, Andore, Tehsil sheoganj, District Sirohi Plot No. 46 & 47 admeasuring area about 3500 Sq. Feet, and Sale Deed Registered before the Sub

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

Registrar Office sheoganj on 19.03.2015, Book No. 1, Jild No. 400, Page No. 133, Sr. No. 2015000380 & additional Book No. 1, Jild No. 983, Page No. 288 to 298 and Mortgaged by Mr. Kamli Banu W/o Mr. Mir Khan (Mortgager). को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 22.01.2025 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक/अखबार में प्रकाशन के माध्यम से तामिल करवाये गये उसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पत्ति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।


प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक सिराही में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 12,60,000/- का ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।



प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 12,60,000/- का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 22.01.2025 को जारी किये हैं जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the


जिला प्रजिस्ट्रेट, सिराही

secured creditor or if any of the secured assets is required to the sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or found to take possession thereof and the

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

(a) take possession of such asset and documents relating thereto and

(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) . the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्विराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्विरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी ने अपनी जायदाद All the Piece and parcel of Immovable Property situated at Samarth Nagar, Part- B, Andore, Tehsil sheoganj, District Sirohi Plot No. 46 &47 admeasuring area about 3500 Sq. Feet, and Sale Deed Registered before the Sub Registrar Office sheoganj on 19.03.2015, Book No. 1, Jild No. 400, Page No. 133, Sr. No. 2015000380 & additional Book No. 1, Jild No. 983, Page No. 288 to 298 and Mortgaged by Mr. Kamli Banu W/o Mr. Mir Khan (Mortgager). को बैंक/कम्पनी पक्ष में रहन कर दिया। जिसका अडौस-पडौस इस प्रकार है-

East - Plot No. 50 & 51


West- Common Way of 30 Feet & Plots Clearing

North- Plot No. 48

South- Plot No. 45

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोड़कर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वारंते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोंही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। उक्त आदेश दिनांक 31.10.2025 के बाद से प्रभावी होगा। आदेश आज दिनांक 21.08.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।




(अल्पा चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोंही